<u>जनपद बाराबंकी</u>

दिनांक 18.02.2021

थाना जहांगीराबाद पुलिस ने गोवध अधिनियम में वांछित एक शातिर अभियुक्त को किया गिरफ्तार, कब्जे से एक तमंचा मय एक अदद जिन्दा कारतूस बरामद ।

पुलिस अधीक्षक बाराबंकी श्री यमुना प्रसाद द्वारा अपराध एवं अपराधियों पर नियन्त्रण रखने के लिए वांछित अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु समस्त थाना प्रभारियों को अभियान चलाकर कार्यवाही करने हेतु निर्देशित किया गया है, जिसके क्रम में अपर पुलिस अधीक्षक उत्तरी श्री आरएस गौतम के निर्देशन व क्षेत्राधिकारी नगर सुश्री सीमा यादव के पर्यवेक्षण में थानाध्यक्ष जहांगीराबाद श्री दर्शन यादव के नेतृत्व में आवश्यक कार्यवाही की जा रही है ।

आज दिनांक 18.02.2021 को मैनुअल इंटेलीजेन्स के आधार पर थाना जहांगीराबाद पुलिस टीम द्वारा मु0अ0सं0 29/21 धारा 3/5/8 गोवध निवारण अधिनियम में नामजद व वांछित अभियुक्त राजू पुत्र राम सिंह पासी निवासी नरायनपुर मजरे भैंसुरिया मुजाहिदपुर थाना- फतेहपुर जनपद बाराबंकी को ग्राम मंशापुरवा नहरिया पुलिया के पास से गिरफ्तार किया गया। तलाशी में अभियुक्त के कब्जे से 01 तमंचा व 01 कारतूस बरामद हुआ, थाना जहांगीराबाद पर मु0अ0सं0 38/2021 धारा 3/25 आर्म्स एक्ट पंजीकृत किया गया।

<u>नाम पता गिरफ्तार अभियुक्त–</u>

राजू पुत्र राम सिंह पासी निवासी नरायनपुर मजरे भैंसुरिया मुजाहिदपुर थाना- फतेहपुर जनपद बाराबंकी

<u>बरामदगीः-</u>

1. 01 तमंचा .315 बोर
2. 01 जिन्दा कारतूस .315 बोर

<u>पुलिस टीम-</u>

1. थानाध्यक्ष जहांगीराबाद श्री दर्शन यादव जनपद बाराबंकी।
2. उ0नि0 कमल किशोर सिंह थाना जहांगीराबाद जनपद बाराबंकी।
3. का0 जितेन्द्र राय थाना जहांगीराबाद जनपद बाराबंकी।
4. का0 संतोष यादव थाना जहांगीराबाद जनपद बाराबंकी।